रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-22112024-258802
CG-GJ-E-22112024-258802

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 926] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2024/कार्तिक 28, 1946
No. 926] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2024/KARTIKA 28, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 18 नवम्बर, 2024

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फैक्टरों का रजिस्ट्रीकरण और प्राप्य राशियों के समनुदेशन का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2024

आईएफएससीए/जीएन/2024/012. —अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 19(1क) और धारा 31क की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ख़) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय I

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

i. इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फैक्टरों का रजिस्ट्रीकरण और प्राप्य राशियों के समनुदेशन का रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

ii. ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से लागू होंगे।

2. उद्देश्य

इन विनियमों का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए तरीके की व्यवस्था करना है:

i. फैक्टरों को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना; और

ii. फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) की धारा 19 की उप-धारा (1क) के अधीन फैक्टरों की ओर से व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री में लेनदेन के विवरण फ़ाइल करना।

3. परिभाषाएँ

i. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का तात्पर्य निम्नानुसार होगा:

क. “अधिनियम” का तात्पर्य फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 (2012 का 12) से है;

ख़. “प्राधिकरण” का तात्पर्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;

ग. “केंद्रीय रजिस्ट्रार” का तात्पर्य वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 21 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति से है;

घ. “केंद्रीय रजिस्ट्री” का तात्पर्य वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की धारा 20 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय रजिस्ट्री से है;

ङ. “फैक्टर” का तात्पर्य वही होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) में निर्दिष्ट किया गया है;

च. "वित्त कंपनी" का तात्पर्य वही होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के विनियमन 2 के उप-विनियम (1) के खंड (ङ) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है;

छ. "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)" का तात्पर्य वही होगा जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (जी) में निर्दिष्ट किया गया है;

ज. "अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्तपोषण सेवा मंच (आईटीएफएस)" का तात्पर्य कई वित्तपोषकों के माध्यम से निर्यातकों या आयातकों की व्यापार वित्त आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मंच से है।

झ. "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" का तात्पर्य वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड 50 में निर्दिष्ट किया गया है और इसमें ऐसा अन्य व्यक्ति शामिल भी होगा जिसे फैक्टर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक घोषित करेगा;

ञ. "प्रासंगिक व्यक्ति" का तात्पर्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से है तथा इसमें फैक्टर पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं;

ट. "व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस)" का तात्पर्य वही होगा जो अधिनियम की धारा 2 के खंड (धक) में निर्दिष्ट किया गया है।

ii. इन विनियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50), वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही तात्पर्य होगा जो उन्हें क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या उनमें किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय-II

फैक्टर्स का रजिस्ट्रीकरण

4. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया

i. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में फैक्टरिंग व्यवसाय शुरू करने की मंशा रखने वाले प्रत्येक फैक्टर को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को यथा-निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करना होगा।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त आवश्यकता अधिनियम की धारा 5 के अधीन छूट प्राप्त एंटिटियों पर लागू नहीं होगी।

ii. उप-विनियम (i) के अधीन किए गए आवेदन पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण, यदि संतुष्ट हो, तो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में फैक्टरिंग व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक फैक्टर को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

iii. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को जारी करना निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करेगा:

क. फैक्टर ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया होगा;

ख. फैक्टर के "संबंधित व्यक्तियों" के पास फैक्टरिंग के व्यवसाय में पर्याप्त अनुभव होगा;

ग. फैक्टर के पास फैक्टरिंग का व्यवसाय करने के लिए पर्याप्त कार्यालय स्थान, उपकरण, संचार सुविधाएं और जनशक्ति सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा होगा या वह उसमें निवेश करने के लिए इच्छुक और सक्षम होगा;

घ. फैक्टर और संबंधित व्यक्ति 'उपयुक्त और उचित' आवश्यकताओं को पूरा करेंगे;

ङ. फैक्टर की वित्तीय सुदृढ़ता; और

च. फैक्टर और संबंधित व्यक्ति किसी कानून के उल्लंघन के लिए किसी न्यायिक कार्यवाही के अधीन नहीं हैं।

iv. इन विनियमों के लागू होने की तारीख़ से पहले फैक्टरिंग व्यवसाय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा वित्त कंपनी को दिया गया कोई भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इन विनियमों के अधीन दिया गया माना जाएगा और ऐसी वित्त कंपनी इन विनियमों के सभी लागू उपबंधों का पालन करेगी।

v. कोई फैक्टर जिसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) विनियम, 2021 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है, वह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिए जाने की तारीख़ से छह महीने के भीतर अपना फैक्टरिंग व्यवसाय शुरू कर देगा।

6. व्यवसाय का संचालन और रिपोर्टिंग

i. फैक्टरिंग व्यवसाय का संचालन इस प्रकार होगा:

क. फैक्टर अधिनियम के उपबंधों, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों तथा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी निदेश या दिशा-निदेशों के अनुसार सीधे समनुदेशक के साथ या आईटीएफएस के माध्यम से फैक्टरिंग व्यवसाय कर सकता है; तथा

ख. फैक्टरों के अलावा अन्य एंटिटियां, जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, आईटीएफएस के माध्यम से फैक्टरिंग व्यवसाय कर सकती हैं;

ii. उपरोक्त खंड (i)(a) और (i)(b) में उल्लिखित एंटिटियां अपने परिचालन से संबंधित जानकारी प्राधिकरण को ऐसे तरीके, अंतराल और रूप में प्रस्तुत करेंगी, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

अध्याय III

प्राप्य राशियों के समनुदेशन का रजिस्ट्रीकरण

7. प्राप्य लेनदेन के समनुदेशन का रजिस्ट्रीकरण

i. व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) के माध्यम से वित्तपोषित व्यापार प्राप्य राशियों को फैक्टर की ओर से संबंधित टीआरईडीएस द्वारा, ऐसे समनुदेशन या संतुष्टि, जैसा भी मामला हो, की तारीख से दस दिनों की अवधि के भीतर केंद्रीय रजिस्ट्री में फ़ाइल किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे:

क. फैक्टर के पक्ष में प्राप्य राशियों का समनुदेशन, ऐसे रूप और तरीके से किया जाएगा जैसा कि प्राप्य राशियों के समनुदेशन के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 के नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (क) में निर्धारित किया गया है।

ख. प्राप्य राशियों के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 के नियम (3) के उप-नियम (1) के खंड (ख) में निर्धारित रूप और तरीके से प्राप्य राशियों की पूर्ण वसूली पर प्राप्य राशियों के किसी भी समनुदेशन की संतुष्टि।

ii. यदि उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण निर्धारित अवधि के भीतर फ़ाइल नहीं किए जाएंगे, तो केंद्रीय रजिस्ट्रार, विलंब के कारणों को बताते हुए इस संबंध में किए गए आवेदन पर संतुष्ट होने पर, प्राप्य राशियों के रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, ऐसे अतिरिक्त समय, जो दस दिनों से अधिक नहीं होगा, के भीतर उक्त विवरण को फ़ाइल करने की अनुमति दे सकता है।

iii. प्राप्य राशियों के समनुदेशन या प्राप्ति पर प्राप्य राशियों की संतुष्टि से संबंधित किसी भी लेनदेन के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक प्ररूप के साथ, समय-समय पर संशोधित प्राप्य राशियों के समनुदेशन रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 में निर्धारित शुल्क संलग्न किया जाएगा, जिसका भुगतान केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा निर्दिष्ट तरीके से केंद्रीय रजिस्ट्रार को किया जाएगा।

अध्याय IV

विविध

8. निरसन और व्यावृत्तियाँ

i. इन विनियमों के लागू होने की तारीख़ से, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राप्य राशियों के समनुदेशन रजिस्ट्रीकरण (रिजर्व बैंक) विनियम, 2022 और फैक्टर रजिस्ट्रीकरण (रिजर्व बैंक) विनियम, 2022 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों पर लागू नहीं होंगे।

ii. इन विनियमों के लागू होने की तारीख़ से, प्राधिकरण द्वारा जारी दिनांक 17 अगस्त, 2021 को 'प्राप्त राशियों की फैक्टरिंग और समपहरण पर दिशानिदेश' शीर्षक वाला परिपत्र निरस्त माना जाएगा।

iii. उप-विनियम (1) और (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, इन विनियमों के लागू होने की तारीख़ से पहले क्रमशः उप-विनियम (1) और (2) में उल्लिखित विनियमों और परिपत्र के अधीन की गई या की जाने वाली कोई भी कार्रवाई इन विनियमों के संगत उपबंधों के अधीन कृत या की गई मानी जाएगी।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./695/2024-25]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Ghandhinagar, the 18th November, 2024

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (REGISTRATION OF FACTORS AND REGISTRATION OF ASSIGNMENT OF RECEIVABLES) REGULATIONS, 2024

IFSCA/GN/2024/012 —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019) and sub-section (4) of section 3 read with Section 19(1A) and clause (a) and (b) of sub-section (2) of Section 31A of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012), the International Financial Services Centres Authority, hereby makes the following regulations namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement

i. These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Registration of Factors and Registration of Assignment of Receivables) Regulations, 2024.

ii. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objective

These regulations aim to provide for the manner of:

i. granting certificate of registration to Factors; and

ii. filing of particulars of transactions with the Central Registry by a Trade Receivable Discounting System (TReDS) on behalf of the Factors under sub-section (1A) of section 19 of the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012).

3. Definitions

i. For the purpose of these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned to them herein below:

a. "Act" means the Factoring Regulation Act, 2011 (12 of 2012);

b. "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the International Financial

Services Centres Authority Act, 2019;

c. "Central Registrar" means a person appointed as such under subsection (1) of section 21 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and

Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002);

d. "Central Registry" means the Central Registry set up under section 20 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of

Security Interest Act, 2002 (54 of 2002);

e. "Factor" shall have the meaning assigned to it in clause (i) of section 2 of the Act;

f. "Finance Company" shall have the meaning assigned to it under clause (e) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres

Authority (Finance Company) Regulations, 2021;

g. "International Financial Services Centre (IFSC)" shall have the meaning assigned to it in clause (g) of sub-section (1) of section 3 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);

h. "International Trade Financing Services platform (ITFS)" means an electronic platform for facilitating the trade finance requirements of exporters or importers, through multiple financiers.

i. "Key managerial personnel" shall have the meaning assigned to it in clause 50 of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and shall include any other person whom the Factor may declare as key managerial personnel;

j. "Relevant Person" means the Key Managerial Personnel and includes the persons exercising control over the Factor;

k. "Trade Receivables Discounting System (TReDS)" shall have the meaning assigned to it in sub-section (sa) of section 2 of the Act.

ii. Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019), the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER - II

REGISTRATION OF FACTORS

4. Procedure for grant of certificate of registration

i. Every Factor, intending to commence factoring business in an International Financial Services Centre shall make an application to the Authority, for grant of certificate of registration, in such format, as specified

Explanation: The above requirement shall not be applicable to the entities exempted under section 5 of the Act.

ii. After considering the application made under sub-regulation (i), the Authority, if satisfied, may grant certificate of registration to the Factor intending to commence factoring business in International Financial Services Centre, subject to such conditions as may be specified by the Authority.

iii. The issuance of certificate of registration shall be contingent upon fulfilment of the following conditions:

a. the Factor shall have obtained a Certificate of Registration under the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021;

b. the "Relevant Persons" of the Factor shall possess adequate experience in the business of factoring ;

c. the Factor shall either possess necessary infrastructure including adequate office space, equipment, communication facilities and manpower to undertake the business of factoring or shall be willing and able to invest in the same;

d. the Factor and Relevant Persons shall satisfy the 'fit and proper' requirements;

e. the financial soundness of the Factor; and

f. the Factor and the Relevant Persons are not subject to any judicial proceeding for breach of any law.

iv. Any certificate of registration granted by the Authority to a Finance Company for undertaking factoring business, prior to the date of coming into force of these regulations, shall be deemed to have been granted under these regulations and such Finance Company shall comply with all applicable provisions of these regulations.

v. A Factor which has been granted certificate of registration, under the International Financial Services Centres Authority (Finance Company) Regulations, 2021, shall commence its factoring business within six months from the date of grant of certificate of registration.

6. Conduct of business and reporting

i. The conduct of factoring business shall be as follows:

a. A Factor may undertake the factoring business with the assignor directly or through an ITFS, in accordance with the provisions of the Act, rules and regulations framed thereunder and any directions or guidelines issued by the Authority; and

b. Entities other than Factors, meeting such eligibility criteria as may be specified by the Authority, may undertake factoring business through an ITFS;

ii. Entities at clause (i)(a) and (i)(b) above, shall furnish information relating to their operations, to the Authority in such manner, interval and form as may be specified by the Authority.

CHAPTER III

REGISTRATION OF ASSIGNMENTS OF RECEIVABLES

7. Registration of assignments of receivables transactions

i. The trade receivables financed through a Trade Receivables Discounting System (TReDS) shall be filed with the Central Registry, by the concerned TReDS on behalf of the Factor, within a period of ten days, from the date of such assignment or satisfaction thereof, as the case may be, containing the particulars of:

a. assignment of receivables in favour of a Factor, in such form and manner as prescribed in clause (a) sub-rule (1) of rule 3 of the Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012.

b. satisfaction of any assignment of receivables on full realisation of the receivables, in such form and manner as prescribed in clause (b) of sub-rule (1) of rule (3) of the Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012.

ii. If the particulars referred in the sub-regulation (1) are not filed within the prescribed period, the Central Registrar may, on being satisfied on an application made in this behalf stating the reasons for the delay, allow the said particulars to be filed within such additional time not exceeding ten days as he may specify, upon payment of the fee as prescribed in Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012.

iii. Every Form for registration of any transaction relating to assignment of receivables or satisfaction of receivables on realisation shall be accompanied by the fee, as prescribed in Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012, as amended from time to time, to be paid to the Central Registrar in the manner as may be specified by the Central Registrar.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

8. Repeal and Savings

i. On and from the date of coming into force of these regulations, the Registration of Assignment of Receivables (Reserve Bank) Regulations, 2022, and Registration of Factors (Reserve Bank) Regulations, 2022 issued by the Reserve Bank of India shall not apply in International Financial Service Centres.

ii. On and from the date of coming into force of these regulations, the circular titled 'Guidelines on Factoring and Forfaiting of Receivables" dated August 17, 2021, issued by the Authority shall stand repealed.

iii. Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) and (2), any action taken or purported to have been taken under the Regulations and Circular mentioned in sub-regulation (1) and (2) respectively, before the date of coming into force of these regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these regulations.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./695/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2024.11.22 15:37:52 +05'30'